

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

नीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

मा संख्या - 83/19 प्रोपग

श्री जंदलाल सो. श्री मांगू भुजूर गिवासी - सुरास, तहसील - माण्डल [कॉरा]

- प्रार्थी

बनाम

श्री मैक सो. श्री हजारी भुजूर गिवासी - सुरास, तहसील - माण्डल [कॉरा]  
(सुप्रीम कोर्ट का पत्र संलग्न)

- विपरीतगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 24.5.19

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हलका सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1728, 1845, 1846 कुल कित्ता 03 रकबा 07 बीघा 07 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपरीतगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.5.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे का इतना ही पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार हलका सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1728, 1845, 1846 कुल कित्ता 03 रकबा 07 बीघा 07 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मैजा को 400/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके के कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल भीलवाड़ा